26/4/22 को पेश हो

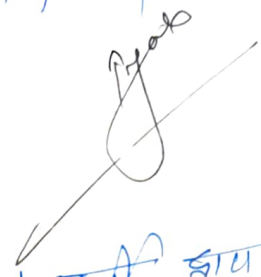

26/4/22 पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृत करने का अवलोकन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत - 909 B ने प्रस्ताव तैयार कर चक - 92 S.B, तहसील अनूपगढ़ गांव को जाने वाला रास्ता जो वर्तमान में चल रहा है वो रास्ता मु० नं.- 40 में किला नं.- 5, 6, 15, 16, 25 व मु० नं.- 41 के किला नं.- 5, 6, 15, 16, 25 व मु० नं.- 44 के किला नं.- 5, 6, 15, में काफी पुराना चल रहा है लेकिन रिकार्ड में उक्त रास्ता स्वीकृत नहीं है प्रार्थी ने उक्त वर्णित रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया। प्रार्थी के प्रस्ताव पर तहसीलदार अनूपगढ़ से धारा 8(2) राज० उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 के तहत प्रस्ताव तैयार करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार, अनूपगढ़ से धारा 8(2) राज० उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.05.25 11:28:39 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रास्ता में जिन [illegible] की कृषि भूमि आती है [illegible] होकर इस आशय की सहमति प्रदान की अगर उक्त चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाता है तो उन्हें कोई

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/दिनांक
आपत्ति नहीं है। तथा रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमति पत्र पेश किया। तहसीलदार अरणा के साथ मौका पर रास्ता 40 वर्षो से चालू होना व सार्वजनिक हित में रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई। राज० उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 की शर्त 8(2) के अनुसार सरकार या सामान्य जनता के लिए रास्ते के अधिकार के सृजन या आरक्षित करने के अधिकार का प्रावधान अधिसूचना क्रमांक 4(5) उपनि (2006) दिनांक 11.5.12 के अन्तर्गत आमजन की सुविधा हेतु रास्ता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है अतः आमजन हेतु आवागमन की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए चक-92 जी. बी. के मुरब्बा नं. 40 पत्थर सं. – 324/425 के किला नं. – 5, 6, 15 16, 25, मुरब्बा नं. – 41 पत्थर संख्या – 324/426 के किला नं. – 5, 6, 15, 16, 25 एवं मुरब्बा नं. 44 पत्थर संख्या – 324/427 के किला नम्बर 5, 6 में रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है	
:-आदेश:-	
उपरोक्त विवेचन के आधार पर राज० उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत राज. उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 की शर्त 8(2) के अनुसार सरकार या सामान्य जनता के लिए रास्ते के अधिकार के सृजन या आरक्षित करने के अधिकार का प्रावधान अधिसूचना क्रमांक 4(5) उपनि./2006 दिनांक 11.5.12 के तहत न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के तहत आमजन की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए चक-92 जी. बी. तहसील अरणा के पत्थर नं. – 324/425 मु. नं. – 40 के किला नं. – 5, 6, 15, 16, 25, पत्थर संख्या	

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Tala
Date: 2022.05.25 11:28:39 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी नम्बर
	384/426 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 एवं पत्थर सं.- 384/427 के किला नं.- 5, 6 में 2-2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ता के रूप में स्वीकृतशुदा भूमि संबंधित काश्तकारान के खाते में ही दर्ज रहेगी। तहसीलदार, अनूपगढ़ रास्ते का रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद करें। निर्णय आज दिनांक 26/4/22 को खुले इजलास सुनाया गया। Priyanka (प्रियंका तलानिया) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.05.25 11:28:39 IST
Reason: SelfAttested